BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 23/2024/EZ (Earlier O.A. No. 729/2023PB)

In re: News item appearing in News Wing dated 01.12.2023

Versus

The State of Jharkhand & Others .... Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed by District Mining Officer, Government of Jharkhand.	1 - 7
2.	Verification	8
3.	Annexure A	Enclosed
4.	Annexure B	Enclosed
5.	Annexure C	Enclosed
6.	Annexure D	Enclosed
7.	Annexure E	Enclosed

CamScanner

Affidavit

अधिवक्ता कल्याण कोष
झारखंड
पंद्रह रुपये ₹15
FIFTEEN RUPEES
ADVOCATE WELFARE FUND

अधिवक्ता कल्याण कोष
झारखंड
पंद्रह रुपये ₹15
FIFTEEN RUPEES
JHARKHAND
ADVOCATE WELFARE FUND

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regn No. 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

K. M. Singh
NOTARY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

HAZARIBAGH BAR ASSOCIATION
सत्यमेव जयते
HAZARIBAG

3397
09/8/2024

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regn No. 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

09/3/2024

Joint Secretary
Library
Bar Association, Hazaribag

(Suman Kumar Singh)
General Secretary

Sl. No. A **37910**

Signature of Executive Member

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 23/2024/EZ (Earlier O.A. No. 729/2023PB)

In re: News item appearing in News Wing dated 01.12.2023

Versus

The State of Jharkhand & Others ……….…. Respondents

I, Ajeet Kumar, son of Late R.C. Prasad, aged about 57 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, Hazaribagh, Government of Jharkhand, having its office at Near Circuit House, P.O. Hazaribagh Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the District Mining Officer, Hazaribagh, Government of Jharkhand, and I am aware to the facts and records in the instant case and gone through the allegations and contentions of the applicant in the Original Applications such I am competent and duly authorized by Deputy Commissioner, Hazaribagh the competent authority.

2. That I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.

3. That in pursuance and in compliance to the order dated 19.01.2024 of this Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Affidavit being filed by District Mining Officer, Hazaribagh, Government of Jharkhand duly authorized to swear this affidavit on behalf of Deputy Commissioner, Hazaribagh.

4. That, the instant Original Application was taken up Suo Moto by the Hon'ble Tribunal based on the news item which was related to illegal stone mining in Konar River, which flows between Bokaro and Hazaribagh district. As per the said news item report, illegal stone mining is happening in Narki forest area and in the river causing pollution and environmental degradation.

5. That, it is humbly stated and submitted that the a raid was conducted on 09.02,2024 by Mines Inspector, District Mining Office, Hazaribagh along with Police Force of Bishnugarh P.S. and it has been found that at the said River illegal mining of Stone was going on within the territorial and administrative jurisdiction of Hazaribagh district and mineral is transported through forest land. An FIR No.- 29/2024, dated- 09.02.2024 lodged at Bishnugarh P.S. by Mines Inspector against the Owner

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No. 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

9/3/2024

CamScanner

and unknown driver of Tractor bearing registration no.- Not mentioned, Mahindra B275 DI, Chasis no.- NYNB00900 alleged in illegal stone transportation, some local villagers who involve in to interrupt the raid team and escape the said tractor from custody, three illegal crusher units owner, namely (i) Saif Ansari (ii) Dinesh Kumar Barnwal and (iii) Ranvijay Singh who involve in purchase, processing and sell of illegal stone mineral from the said River against U/s 4/21 of The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957, under Rules 54 of Jharkhand Minor Mineral Concession Rules 2004 and amended, under Rules 7, 9 and 13 of The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 and other relevant sections of the Indian Penal Code.

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Online registered copy of FIR lodged by Mines Inspector, District Mining Office, Hazaribagh is annexed and marked herewith as **Annexure A.**

6. That, it is humbly stated and submitted that in the relevant incident, a letter has been written to the Divisional Forest Officer, Eastern Forest Division, Hazaribagh vide office letter number 162,

CamScanner

dated 10.02.24 to interrupt the forest routes in the forest area and to keep proper monitoring on it, to prevent the supply of stones to the nearby illegally operated crusher units by illegal means of excavating stones through forest land.

Copy of letter No.162, dated 10.02.24. is annexed and marked herewith as **Annexure B.**

7. That, it is humbly stated and submitted that in the relevant incident, a letter has been written to the Executive Engineer (Electrical), Electricity Department, Hazaribagh through this office's letter number 163, dated 10.02.24, to disconnect the electricity connection in respect of 03 illegal stone crusher units being operated illegally without obtaining statutory clearances and dealer's license in Naraki Khurd under Vishnugarh police station.

Copy of letter No.163, dated 10.02.24. is annexed and marked herewith as

Annexure C.

NOTARY ★ K. M. SINGH HAZARIBAG Regn No 93/03 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

8. That, it is humbly stated and submitted that in the relevant incident, a letter has been written vide letter no. 165 dated 10.02.24 of this office to the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Hazaribagh to take legal action under pollution rules against the crusher units operating illegally without obtaining CTE/CTO in Narki Khurd under Vishnugarh police station.

Copy of letter No.165, dated 10.02.24. is annexed and marked herewith as

Annexure D.

9. That, it is humbly stated and submitted that District Mining Officer, Hazaribagh has been raised the aforesaid matter in the District Mining Task Force Meeting held on dated 22.02.2024. In this meeting Deputy Commissioner, Hazaribagh instructed concerned Forest Officer, Eastern Forest Division, Hazaribagh to cut the trench between Konar River and connected forest land and to keep proper monitoring on it.

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Proceeding Copy of District Mining Task Force Meeting, Dated 22.02.2024 is annexed and marked herewith as

Annexure E.

10. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp 563/MoCo dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at district level to review, follow-up and control the illegal mining activities in the district. A District level Task Force is constituted and review meeting of the Task Force is conducted on a monthly basis and strict directions are issued to take action against any instances of illegal mining, storage or transportation of minerals.

11. That, it is humbly stated and submitted that all necessary steps are being taken to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals in the district.

12. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.It is therefore prayed that Your Lordship may kindly be pleased to accept the instant counter affidavit.

NOTARY K. M. SINGH HAZARIBAG Regd No 99/03 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

1/3/2024

CamScanner

13. I state that the statements contained in paragraph Nos. 1 to 2 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 3 to 9 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

District Mining Office
Hazaribag.

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

VERIFICATION

I, Ajeet Kumar, son of Late R.C. Prasad, aged about 57 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, Hazaribagh, Government of Jharkhand, having its office at Near Circuit House, P.O. Hazaribagh, Jharkhand, and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of District Mining Officer, Hazaribagh, Government of Jharkhand.

Date: 9/3/24

Place: Hazaribag

Ajeet Kumar

Signature

Identified by me:

Advocate

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd. No. 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Solemnly affirmed/declared on oath before me by Sri...Ajeet Kumar...
Who has been identified by Shri......
....Advocate
who is personally know to me.

9/3/2024

NOTARY

अनु०-04
N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) (Total 04 Page)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-1)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हजारीबाग P.S. (थाना): विष्णुगढ़ Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0029 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/02/2024 15:00 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379
2	भा द सं 1860	341
3	भा द सं 1860	353
4	भा द सं 1860	34
5	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
6	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
7	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	4
8	झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004	54
9	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	7
10	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	9
11	झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार Date from (दिनांक से): 09/02/2024 Date To (दिनांक तक): 09/02/2024

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:15 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/02/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date and Time (दिनांक और समय): 09/02/2024 20:29 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 25 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): AT- NARKI KHURD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(a) Name (नाम): RAHUL KUMAR

(b) Father's Name (पिताका नाम): BINOD SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)(पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MINE INSPECTOR DISTRIC MINING , OFFICE HAZARIBAG, हजारीबाग, झारखंड, भारत.
2	स्थायी पता	AT- SIMLADIH,धनबाद, धनबाद, झारखंड, भारत.

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9308060446

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	DINESH KUMAR BARNAWAL	Error: Subreport could not be shown	पिता का नाम UNKNOWN	AT- NARKI KHURD,विष्णुगढ, हजारीबाग, झारखंड, भारत.
2	RANVIJAY SINGH	Error: Subreport could not be shown	पिता का नाम SIDHA SINGH	AT- NARKI KHURD,विष्णुगढ, हजारीबाग, झारखंड, भारत.
3	SAIF ANSARI	Error: Subreport could not be shown	पिता का नाम LATE MOBIN ANSARI	AT- NARKI KHURD,विष्णुगढ, हजारीबाग, झारखंड, भारत.
4	Unknown1	Error: Subreport could not be show		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पति श्रेणी)	Property Type (सम्पति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

CamScanner

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य)**

वादी का लिखित आवेदन निम्नवत है - सेवा मे थाना प्रभारी विष्णुगढ़ थाना हजारीबाग विषय अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर परिवहन करने तथा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये क्रशर मशीन से पत्थर का प्रसंस्करण करने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध मे । महाशय मै राहुल कुमार उम्र 35 वर्ष पिता विनोद सिंह पता सिमलडीह पो0थाना जिला धनबाद का निवासी हूँ तथा वर्तमान मे खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय हजारीबाग के पद पर कार्यरत हूँ । आज दिनांक- 09.02.2024 के पूर्वाह्न मे प्राप्त शिकायत के आलोक मे आपके थाना के पुलिस पदाधिकारी पु0अ0नि0 मिथिलेश मराण्डी एवं बल के उपस्थिति मे नरकी खुर्द स्थित कोनार नदी पर छापामारी मारा गया । छापामारी के क्रम मे नदी के ओर से एक पत्थर लदा ट्रैक्टर का रजि0नं0- अंकित नही लाल रंग MAHIDNDRA B275DI Chasis No- NYB00900 Engine No स्पष्ट नही ट्राला रं0 अंकित नही [illegible] करीब 100 घनफीट पत्थर लदा हुआ पाया गया जिसे थाना लाने के क्रम मे वन भूमि पार करते समय अचानक से काफी संख्या मे स्थानीय ग्रामीण(महिला एव पुरुष) स्थल पर पहुचकर ट्रैक्टर को ले जाने का भारी विरोध करते हुए पत्थर एवं चालक सहित ट्रैक्टर को भगा ले गया । तदोपरान्त मौजा नरकी खुर्द स्थित क्रशर का जाँच के क्रम मे 01. GR Latitude 23.847309, Longitude 85.821263 मे बिना अनुज्ञाप्ती प्राप्त किये एक क्रशर मशीन संचालित पाया गया । स्थानीय लोगो द्वारा पुछ-ताछ के क्रम मे बताया गया है कि उक्त क्रशर का मालिक दिनेश कुमार वर्णवाल उर्फ दिपु साव पिता नामालूम पता नरकी खुर्द थाना विष्णुगढ है । 02. GR Latitude 23.846103, Longitude 85.821017 मे बिना अनुज्ञाप्ती प्राप्त किये एक क्रशर मशीन संचालित पाया गया । स्थानीय लोगो द्वारा पुछ-ताछ के क्रम मे बताया गया कि उक्त क्रशर का मालिक रणविजय सिंह पिता सिद्धू सिंह पता नरकी खुर्द थाना विष्णुग है । 03 GR Latitude 23.845378, Longitude 85.821017 मे बिना अनुज्ञाप्ति प्राप्त किये एक क्रशर मशीन संचालित पाया गया । स्थानीय लोगो द्वारा पुछताछ के क्रम मे बताया गया कि उक्त क्रशर का मालिक सैफ अंसारी पिता स्व0 मोबिन अंसारी पता नरकी खुर्द थाना विष्णुगढ है । उपरोक्त सभी तीनो क्रशर पर पत्थर का भण्डारण का मात्रा नगन्य मात्रा मे पाया गया तथा सभी तीनो को खनन विभाग द्वारा अनुज्ञाप्ति निर्गत नही किया गया है । नरकी खुर्द स्थित कोनार नदी से अवैध पत्थर उत्खनन के मामले मे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली का स्वतः संज्ञान लेते हुए Original Application no- 23/2024/EZ दायर किया गया है । अतः आपसे निवदेन है कि उपरोक्त वर्णित ट्रैक्टर के मालिक अज्ञात चालक अवैध पत्थर उत्खनन मे संलिप्त अन्य अज्ञात अवैधकलाओ ट्रैक्टर छुडाने वाले अज्ञात ग्रामीणो अवैध क्रशर संचालक दिनेश कुमार वर्णवाल रणविजय सिंह एवं सैफ अंसारी के विरुद्ध सरकारी संपति की चोरी खनन राजस्व की क्षति सरकारी काम मे बाधा पहुचाने के आलोक मे तथा खान एवं खनिज (विकाश एवं विनियमन) अधि0 1957 के धारा- 4/21 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम - 4/54 The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation Storage)Rule 2017 के नियम 7/9/13 एवं आपके द्वारा IPC के सुसंगत धाराओ के साथ प्राथमिकी दर्ज करेंगे ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** RAM NARAYAN SINGH **(निरीक्षक)/ or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAM NARAYAN SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG
9/3/2024

CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	01/01/1900		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	01/01/1900		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	01/01/1900		-		चेचक: नहीं
4		01/01/1900		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्युकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regn No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

अनु० - B
total - 2 page

झारखण्ड सरकार
जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।
(e-mail Id – dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक : ......162....... / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 10.02.2024

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पूर्वी वन्य प्रमण्डल, हजारीबाग।

बिषय : हजारीबाग जिलान्र्तगत विष्णुगढ़ अन्तर्गत वन भूमि के रास्ते अवैध पत्थर परिवहन के संबंध में।

प्रसंग : विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक, सूचित करना है कि मौजा नरकी खुर्द ग्राम स्थित कोनार नदी से अवैधकर्त्ताओं द्वारा पत्थर उत्खनन कर वन भूमि के रास्ते गुजरकर निकटवर्ती अवैध क्रशर ईकाई तक पहुँचने का मामला पाये जाने के बावत प्रासंगिक काण्ड दर्ज किया गया है। उक्त नदी से मुख्य पथ तक केवल वन भूमि होकर आने का रास्ता है, जिसे बाधित करना अतिआवश्यक है। स्थल का Co-ordinates Latitude- 23.848622, Longitude- 85.819537 पर काफी मात्रा में कोनार नदी से पत्थर तोड़कर भण्डारण किया हुआ पाया गया है, जो संभवत वन भूमि है।

अतः अवैध खनन एवं परिवहन कार्य को बाधित करने तथा राजस्व हानि को बचाने हेतु नरकी खुर्द ग्राम स्थित वन क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गो को अवरूद्ध करने एवं इस पर समुचित निगरानी हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मी को निर्देशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

10.02.2024

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regn No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

D:\New folder\backup 1\Backup\My Document\2022-23\Forest Letter.docx

CamScanner

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

अनु० - C

झारखण्ड सरकार

जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग।

(e-mail id- dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक : 163 / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 10.02.2024

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (विद्युत),
विद्युत विभाग, हजारीबाग।

बिषय : हजारीबाग जिलान्तर्गत अवैध पत्थर भण्डारणकर्त्ता (क्रशर यूनिट) के संबंध में।

प्रसंग : विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, सूचित करना है कि प्रासंगिक काण्ड में विष्णुगढ़ अंचल अन्तर्गत मौजा नरकी खुर्द में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये संचालित तीन क्रशर ईकाई पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, निम्न ईकाई विद्युत कनेक्शन से संचालित था।

क्र	थाना का नाम	अवैध क्रशर संचालनकर्त्ता	GR
1	विष्णुगढ़	दिनेश कुमार वर्णवाल उर्फ दिपु साव, पिता ना मालुम, पता नरकी खुर्द विष्णुगढ़, हजारीबाग।	Latitude-23.847309, Longitude- 85.821263
2	विष्णुगढ़	रण विजय सिंह, पिता सिद्ध सिंह, पता नरकी खुर्द विष्णुगढ़, हजारीबाग।	Latitude-23.846103, Longitude- 85.821017
3	विष्णुगढ़	सैफ अंसारी, पिता स्व0 मोबिन अंसारी, पता नरकी खुर्द विष्णुगढ़, हजारीबाग।	Latitude-23.845378, Longitude- 85.82337

उल्लेखनीय है कि वर्णित क्रशरों के संचालन से सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त तीनों क्रशरों का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

10.2.2024

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No. 99/08
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

CamScanner

अनु० - D

झारखण्ड सरकार
जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।
(e-mail Id – dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)
पत्रांक :...165......../खनन, हजारीबाग, दिनांक :..10.02.24..

प्रेषक,
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा में,
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।

बिषय : विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, सूचित करना है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत मौजा नरकी खुर्द में बगैर प्रदूषण विभाग से CTE प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित क्रशरों के विरूद्ध विषयांकित काण्ड दर्ज हुआ है। हजारीबाग जिला के टाटीझरीया, चुरचू, टेप्सा, ढाब सलौनिया आदि विभिन्न क्षेत्रों में बगैर CTE प्राप्त किये एवं जिन क्रशरों को CTO प्राप्त है, उनके द्वारा CTO में अंकित शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण हो रहे प्रदूषण के संबंध में ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त एवं अन्य श्रोतों से शिकायत प्राप्त हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियमों के तहत प्रदूषण की रोकथाम हेतु जिला खनन पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार नहीं है। जिले में क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं अनुमण्डल पदाधिकारी ही प्रदूषण नियमों के तहत कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार है।

अतः अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपने स्तर से प्रदूषण नियमों के तहत बगैर CTE/CTO प्राप्त किये स्थापित/संचालित क्रशरों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई किये जाने का कष्ट किया जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय, ताकि उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, खनन टास्क फोर्स को अवगत कराया कराया जा सके।

विश्वासभाजन

10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

ज्ञापांक....165......./खनन, हजारीबाग, दिनांक...10.02.24
प्रतिलिपि :– उपायुक्त, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regn. ... 93/03
OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
9/3/2024
NOTARY
HAZARIBAG

अनु० – E
(Total – 07 page)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय (खनन शाखा), हजारीबाग।

दिनांक 22.02.2024 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, हजारीबाग की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदया द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए माह जनवरी,2024 में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। कार्रवाई का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>पदाधिकारी का पदनाम</th><th>कार्रवाई की विवरणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td><table><tr><th>माह</th><th>कुल वाद</th><th>कुल अभियुक्त</th><th>जप्त वन पदार्थ</th><th>जप्त वाहन</th></tr><tr><td>जनवरी,24</td><td>01</td><td>02</td><td>मिट्टी – 150 Cft</td><td>(1) पावर ट्रेक – 02
(2) कोड़ी – 02
(3) बेलचा – 02</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td><table><tr><th>माह</th><th>कुल वाद</th><th>कुल अभियुक्त</th><th>जप्त वन पदार्थ</th><th>जप्त वाहन</th></tr><tr><td>जनवरी,24</td><td>03</td><td>15</td><td>कोयला – 21 टन</td><td>—</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्य आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग।</td><td><table><tr><th>माह</th><th>जी0 केश नं0</th><th>जप्त वाहन/जप्त वन पदार्थ का विवरण</th><th>वनवाद दायर अभियुक्तों की संख्या</th><th>गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या</th><th>अभ्युक्ति</th></tr><tr><td>जनवरी,24</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग।</td><td>1. बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 25
2. स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 05
3. दर्ज प्राथमिकी की संख्या – 01
4. कुल अभ्युक्तिों की संख्या – 01 एवं अन्य
5. वाहनो से वसूली गई जुर्माना राशि – 6.70 लाख</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कारखाना निरीक्षक,
अंचल 1, हजारीबाग।</td><td>प्रतिवेदन अप्राप्त।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कारखाना निरीक्षक,
अंचल 2, हजारीबाग।</td><td>प्रतिवेदन अप्राप्त।</td></tr>
</table>

NOTARY ★ K. M. SINGH HAZARIBAG Regd No 99/03 ★ GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

7	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।	ईचाक थाना के मौजा टेप्सा में 03 क्रशर पर कार्रवाई किया गया।
8	जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग।	(1) कुल 08 वाहनों से परिवहन नियमों के उल्लघंन के बावत कार्रवाई करते हुए 1,20,000/– रूपया की वसूली की गई। (2) कुल 10 वाहनों पर तिरपाल नहीं रहने के कारण 20,000/– रूपया की वसूली की गई। (3) कुल 02 ओभर लोड वाहनों से 73,000/– रूपया की दण्ड वसूली की गई है। (4) कुल 27 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया है।
9	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हजारीबाग।	**प्रतिवेदन अप्राप्त।**
10	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बरही।	**प्रतिवेदन अप्राप्त।**
11	अंचल अधिकारी, सदर।	**प्रतिवेदन अप्राप्त।**
	बड़ा बाजार थाना	
	कोर्रा थाना	
	मुफ्फसिल थाना	
	लोहसिंघना थाना	
	सदर थाना	
12	अंचल अधिकारी, टाटीझरीया।	**प्रतिवेदन अप्राप्त।**
	टाटीझरीया थाना	
13	अंचल अधिकारी, ईचाक।	**प्रतिवेदन अप्राप्त।**
	ईचाक थाना	
14	अंचल अधिकारी, केरेडारी।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	केरेडारी थाना	
15	अंचल अधिकारी, बरकट्ठा।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बरकट्ठा थाना	
16	अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़।	**शून्य प्रतिवेदित।**
	विष्णुगढ थाना	
17	अंचल अधिकारी, चौपारण।	कोयला लदे जप्त वाहन की संख्या – 05 (प्राथमिकी – 03)
	चौपारण थाना	
18	अंचल अधिकारी, कटकमदाग।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 09 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	कटकमदाग थाना	

NOTARY ★ K. M. SINGH HAZARIBAG Regd No 99/03 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA) ★

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

...New folder\backup 1\Backup\My Document 2023-24\Task Force\Task Force Minutes 22.07.2024.docx

CS CamScanner

19	अंचल अधिकारी, चलकुशा।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	चलकुशा थाना	
20	अंचल अधिकारी, कटकमसांडी।	शून्य प्रतिवेदित।
	कटकमसांडी थाना	
	पेलावल ओ0 पी0	
21	अंचल अधिकारी, दारू।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	दारू थाना	
22	अंचल अधिकारी, डाड़ी।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	गिद्दी थाना	
23	अंचल अधिकारी, चुरचु।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	चरही थाना	
	चुरचू थाना	
24	अंचल अधिकारी, पदमा।	बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	पदमा थाना	
25	अंचल अधिकारी, बरही।	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बरही थाना	
26	अंचल अधिकारी, बड़कागाँव।	➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई) ➢ बालू लदे जप्त वाहन की संख्या – 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई)
	बड़कागाँव थाना	
	उरीमारी थाना	
	डाडीकला ओ0 पी0	

उपायुक्त द्वारा माह जनवरी, 2024 में अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के बावत की गई समीक्षा के दौरान प्रतिवेदित माह में शून्य कार्रवाई/प्राथमिकी दर्ज करने वाले अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी पर असंतोषजनक कार्रवाईयों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए नव पदस्थापित सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिला खनन टास्क फोर्स के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी अपने–अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु सघन जाँच करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विगत माह का कार्रवाई का प्रतिवेदन अगले माह के 05 तारीख तक जिला खनन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

NOTARY K. M. SINGH HAZARIBAG Regd No 99/03 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED NOTARY HAZARIBAG

(अनुपालन :– संबंधित सभी सदस्य खनन टास्क फोर्स)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत कई माहों से थाना परिसर में अवैध खनिज लदे वाहनों को जप्त कर रखा गया है, परन्तु अभी तक वर्णित वाहन के विरूद्ध अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उसके विरूद्ध तत्काल अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाना आवश्यक है। ऐसी ही समरूप मामले में उरीमारी एवं डाडीकला ओ० पी० में 06 माह से अधिक अवधि से वाहन को जप्त कर रखा गया था, जिसमें से एक वाहन जो उरीमारी ओ० पी० अन्तर्गत था, के मामले में वाहन मालिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.C. No. 6586/2023 Satyanarayan Sahu Vrs. State of Jharkhand & Others वाद दायर किया गया है, जिसमें विरूद्ध क्रमशः दिनांक 29.01.2024 एवं दिनांक 01.02.2024 को अंचल अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्रम में थाना प्रभारी उरीमारी पर कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस विभाग को आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में तत्कालीन थाना प्रभारी उरीमारी का निलम्बन भी हुआ है एवं 25,000/– रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतः वैसे मामलों की पहचान कर सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्राधीन थानों में जाँच कर अस्वत हो लेना आवश्यक है तथा वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में शीघ्र प्राथमिकी कर लिया जाना आवश्यक होगा, ताकि माननीय न्यायालय से संबंधित मामले में प्रतिकुल टिप्पणी प्राप्त न हो।

(अनुपालन :– सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (PIL) No. 2518/2019 उमा शंकर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 03.04.2023 को पारित आदेश का मामला खनन टास्क फोर्स के समक्ष लाया गया, जिसमें पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत अवैध खनन एवं क्रशर संचालन न होने का आदेश पारित है। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत ईचाक थाना क्षेत्र के मौजा सिझुआ, डुमरौन, डुमरौन मुर्तियाँ, साड़म, टेप्सा एवं बिक्रमा, पेलावल ओ० पी० क्षेत्र के मौजा पबरा एवं कटकमसांडी थाना क्षेत्र के मौजा हेसाकुदर, शाहपुर एवं गुरी में अवैध खनन एवं अवैध क्रशर इकाई के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 12 प्राथमिकीयाँ दर्ज की गई है। इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी आश्रयणी प्रमण्डल द्वारा उक्त दायर PIL का विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में ESZ अन्तर्गत पत्थर, बालू एवं स्टोन क्रशर का संचालन नहीं होना है तथा इस पर समुचित निगरानी रखी जानी है, ताकि किसी भी परिस्थिति में ESZ अन्तर्गत अवैध उत्खनन एवं क्रशर का संचालन न हो। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को ESZ अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों की सूचना अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दी जाय। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने–अपने अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर आवश्यक कानूनी

NOTARY ★ K. M. SINGH HAZARIBAG Regd No 99/03 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत अवस्थित खनन पट्टों/अनुज्ञप्ति प्राप्त क्रशरों की सूची भी सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन :– संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईचाक थाना क्षेत्र अन्तर्गत मौजा टेप्सा में बन्द पत्थर खदानों से पुनः पत्थर के अवैध उत्खनन की सूचना लगातार प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 09.12.2023 को विस्फोटक सामग्री को जप्त करते हुए ईचाक थाना में खनन विभाग द्वारा पाँचवी बार प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके विरूद्ध थाना स्तर से ठोस कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि पुनः अवैध खनन का मामला प्रकाश में न आवे। इस संबंध में थाना प्रभारी, ईचाक द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में उक्त स्थल पर अवैध खनन बन्द है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त स्थल का दिन–रात समुचित निगरानी करने हेतु थाना प्रभारी, ईचाक को निदेश दिया गया, ताकि वर्णित स्थल से अवैध खनन न हो तथा अवैध खनन पाये जाने पर अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज की जाय।

(अनुपालन :– अंचल अधिकारी, ईचाक/थाना प्रभारी, ईचाक)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत माह में रात्रि के समय अवैध कोयला परिवहन के बावत लगभग 100 से अधिक कोयला लदे वाहनों का जाँच किया गया है, जाँच के क्रम में परिवहन चालान में अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बड़कागाँव अंचल के विभिन्न वन क्षेत्रों में वन विभाग/पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कोयला के अवैध उत्खनन हेतु मुहाने को डोजरिंग कर बन्द किया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारी को अपने–अपने थाना क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन का लगातार जाँच करते हुए अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बड़कागाँव अंचल अन्तर्गत अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन का शिकायत प्राप्त हो रही है एवं समय–समय पर कार्रवाई की जाती रही है, परन्तु प्रभावी रूप से अवैध खनन एवं परिवहन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध लागातार ठोस कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

NOTARY ★ K. M. SINGH HAZARIBAG Regd No 99/03 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED NOTARY HAZARIBAG

D:\New folder\backup 1\Backup\My Document\2022-23\Task Force\Task Force Minutes 22 02 2024.docx

उपायुक्त द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से माह जनवरी, 2024 में खनिज परिवहन के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त माह में दो वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गई। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए लगातार ओभरलोड एवं बिना तिरपाल ढके खनिज लदे वाहनों का जाँच कर अनियमितता पाये जाने पर अधिक से अधिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जिला परिवहन पदाधिकारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विष्णुगढ़ अंचल के मौजा नरकी स्थित नदी से अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में Sumo moto संज्ञान लेकर O.A. No. 23/2024/EZ दायर किया गया है। उक्त के संबंध में खनन विभाग द्वारा अवैध पत्थर उत्खनकर्त्ताओं एवं 03 अवैध क्रशर इकाईयों के विरूद्ध काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024 दर्ज किया गया है। इन स्थलों पर नदी से सटे हुए वन भूमि है। इन स्थलों पर वन विभाग के द्वारा भी समुचित निगरानी एवं कार्रवाई किये जाने से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल को नदी एवं वन भूमि को जोड़ने वाले रास्ते पर Trench काटकर अवरूद्ध करते हुए वन भूमि के रास्ते अवैध पत्थर परिवहन न हो इस पर सतत निगरानी रखने हेतु संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– वन प्रमण्डल पदाधाकरी, पूर्वी वन प्रमण्डल)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में विभिन्न श्रोतों से कुल 14 शिकायत प्राप्त हुए है, जिसमें से 04 शिकायतों का अनुपालन हुआ है। शेष 10 शिकायत यथावत है, जिसका अनुपालन अगली बैठक के पूर्व करने हेतु निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष शाखा से भी सम्पूर्ण जिलान्तर्गत विभिन्न थानाक्षेत्रों से अवैध खनन के मामले में शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसके बावत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित थानों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व ATR संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्णित शिकायतों का ब्यौरा बैठक की कार्यवाही के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन :– जिला खनन पदाधिकारी/संबंधित पुलिस उपाधीक्षक/ अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG

D:\New folder\backup 1\Backup\My Document\2022-23\Task Force\Task Force Minutes 22.02.2024.docx

CamScanner

उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों एवं सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को लधु एवं वृहत्त खनिज के अवैध उत्खनन/भण्डारण/परिवहन के विरूद्ध आपसी समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर अवैध खनन को बन्द कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी खनन टास्क फोर्स सदस्य)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

29/2/24

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापंक : 337 /खनन, हजारीबाग, दिनांक : 29.02.2024

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी/पूर्वी/वन्य प्राणी आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/बरही/बड़कागाँव/पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/कारखाना निरीक्षक, अंचल 1 एवं 2, हजारीबाग/क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत विभाग, हजारीबाग/बरही/जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी अंचल अधिकारी, /सभी थाना प्रभारी, जिला– हजारीबाग एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापंक : 337 /खनन, हजारीबाग, दिनांक : 29.02.2024

प्रतिलिपि : सचिव/निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

NOTARY
K. M. SINGH
HAZARIBAG
Regd No 99/03
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

ATTESTED
NOTARY
HAZARIBAG